संख्या- 26/2016/1585/33-3-2016-100(21)/2014

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू 12691.56 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/2106/2016-1/81/2015 दिनांक 09 जून, 2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2/2105/33-3-2014-100(21)/2014, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 14 के अन्तर्गत 2016-17 में उक्त योजना के लिए प्रावधानित रू0 12700.80 लाख में से रू0 12691.56 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2016-17 में प्रावधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

(2) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(3) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल आर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।

(6) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अत: इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बनिधत जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे।

(9) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीक़ृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -03-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास -24-बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(11) इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका /कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों /शर्तो का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) शासकीय व्यय में मितब्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितब्यतता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(14) स्वीक़त की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(15) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(16) जनपद स्तर पर अंत्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व सीमक्षा आदि के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/ निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

2- यह आदेश वित्त विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त करने हेतु फांट

अनुदान संख्या-14

धनराशि लाख रू0 में

क्र0सं0	जनपद का नाम	निर्मित किये जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों की संख्या	रूपया 24.36 लाख प्रति इकाई की दर से कुल प्रस्तावित धनराशि	कार्यालय व्यय/कंटिजेन्सी हेतु प्राविधानित कुल धनराशि का 02 प्रतिशत							अत्येष्टि स्थल की धनराशि तथा ग्राम पंचायत स्तर की कंटिजेन्सी की धनराशि (कालम संख्या-11) को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित धनराशि
				निदेशालय स्तर (0.25 प्रतिशत)	मण्डल स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	जिला स्तर (0.25 प्रतिशत)	ब्लाक स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	कालम संख्या का (6+7+8) योग	कालम संख्या का (5+9) योग	ग्राम पंचायत स्तर पर (01 प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अलीगढ़	10	243.6000	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090	1.8270	2.4360	**2.4360**	241.1640
2	एटा	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
3	हाथरस	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	**1.4616**	144.6984
4	कासगंज	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
5	आगरा	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
6	फिरोजाबाद	9	219.2400	0.5481	0.5481	0.5481	0.5481	1.6443	2.1924	**2.1924**	217.0476
7	मैनपुरी	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
8	मथुरा	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
9	आजमगढ़	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	**1.9488**	192.9312
10	बलिया	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
11	इलाहाबाद	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
12	कौशाम्बी	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656

13	प्रतापगढ़	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
14	कानपुर देहात	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
15	इटावा	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	**1.9488**	192.9312
16	फर्रूखाबाद	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
17	कन्नौज	10	243.6000	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090	1.8270	2.4360	**2.4360**	241.1640
18	औरैया	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
19	गोरखपुर	35	852.6000	2.1315	2.1315	2.1315	2.1315	6.3945	8.5260	**8.5260**	844.0740
20	कुशीनगर	30	730.8000	1.8270	1.8270	1.8270	1.8270	5.4810	7.3080	**7.3080**	723.4920
21	देवरिया	10	243.6000	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090	1.8270	2.4360	**2.4360**	241.1640
22	महराजगंज	12	292.3200	0.7308	0.7308	0.7308	0.7308	2.1924	2.9232	**2.9232**	289.3968
23	बांदा	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
24	चित्रकूट	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
25	हमीरपुर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
26	महोबा	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
27	झांसी	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
28	जालौन	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
29	ललितपुर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
30	गोण्डा	30	730.8000	1.8270	1.8270	1.8270	1.8270	5.4810	7.3080	**7.3080**	723.4920
31	बहराईच	14	341.0400	0.8526	0.8526	0.8526	0.8526	2.5578	3.4104	**3.4104**	337.6296
32	श्रावस्ती	10	243.6000	0.6090	0.6090	0.6090	0.6090	1.8270	2.4360	**2.4360**	241.1640

33	फैजाबाद	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
34	अम्बेड़कर नगर	18	438.4800	1.0962	1.0962	1.0962	1.0962	3.2886	4.3848	**4.3848**	434.0952
35	बाराबंकी	15	365.4000	0.9135	0.9135	0.9135	0.9135	2.7405	3.6540	**3.6540**	361.7460
36	सुल्तानपुर	21	511.5600	1.2789	1.2789	1.2789	1.2789	3.8367	5.1156	**5.1156**	506.4444
37	अमेठी	16	389.7600	0.9744	0.9744	0.9744	0.9744	2.9232	3.8976	**3.8976**	385.8624
38	बरेली	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
39	बदायू	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
40	पीलीभीत	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
41	बस्ती	42	1023.1200	2.5578	2.5578	2.5578	2.5578	7.6734	10.2312	**10.2312**	1012.8888
42	सिद्धार्थनगर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
43	सन्तकबीर नगर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
44	मुरादाबाद	35	852.6000	2.1315	2.1315	2.1315	2.1315	6.3945	8.5260	**8.5260**	844.0740
45	बिजनौर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
46	रामपुर	6	146.1600	0.3654	0.3654	0.3654	0.3654	1.0962	1.4616	**1.4616**	144.6984
47	अमरोहा	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
48	मेरठ	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
49	बुलन्दशहर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
50	गाजियाबाद	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656

51	हापुड़	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
52	बागपत	8	194.8800	0.4872	0.4872	0.4872	0.4872	1.4616	1.9488	**1.9488**	192.9312
53	लखनऊ	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
54	हरदोई	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
55	लखीमपुर खीरी	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
56	रायबरेली	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
57	गाजीपुर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
58	मिर्जापुर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
59	सोनभद्र	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
60	सहारनपुर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
61	मुजफ्फरनगर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
62	शामली	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
63	बलरामपुर	4	97.4400	0.2436	0.2436	0.2436	0.2436	0.7308	0.9744	**0.9744**	96.4656
	योग-	**521**	**12691.5600**	**31.7289**	**31.7289**	**31.7289**	**31.7289**	**95.1867**	**126.9156**	**126.9156**	**12564.6444**

(एक अरब छब्बीस करोड़ इक्नवे लाख छपपन हजार रूपये मात्र)

नोट:- कालम संख्या 5 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 तथा कालम संख्या 6 7 व 8 की कुल कालम संख्या 9 में इंगित धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।